P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-II * Issue-X*June-2015

मानवाधिकार व कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध

अमित शुक्ल
सहायक प्राध्यापक,
हिन्दी विभाग,
शा0ठा0रणमत सिंह महाविद्यालय
रीवा, मध्यप्रदेश

सारांश

मानवाधिकार एक व्यापक संकल्पना है, जिसमे दुनिया के तमाम बंधनों को दरकिनार रखकर इसकी सर्वोत्तम रचना 'मानव' को मात्र मानव माना गया है। अतः जाति, भाषा, क्षेत्र,लिंग व रंग के भेदभाव के बगैर समूची मानवजाति की गरिमा के सम्मान को मुख्य ध्येय माना गया है। मानव के रूप मे जन्म लेते ही मानवाधिकारों का हकदार हो जाता है मानव अधिकार जीवन की वो परिस्थितियॉ हैं जिनके बिना कोई इंसान अपना जीवन यापन नही कर सकता। एक मनुष्य के जीवन पर्यन्त जीवन यापन और विकसित होने के मूलभूत अधिकारों (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सास्कृतिक अधिकारों) को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'मानवाधिकार' के रूप मे स्वीकार किया है। कन्या भ्रूणो की हत्या कई दिशाओं से मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन की सीमा मे आती हैं यह एक ऐसा अपराध है जो भावी समाज के लिए भी खतरा बन रहा है यह कृत्य सर्वप्रथम तो गर्भवती महिलाओं के मौलिक अधिकार पर खुला आक्रमण करता है दूसरे गर्भ मे पलने वाली शिशु कन्या को जीवित रखने के अधिकार से वंचित कर हत्या के अपराध का कारण बन रहा है तीसरे स्त्री पुरूषों की जनसंख्या के अनुपात मे असंतुलन से यह आशंका उत्पन्न हो रही है कि भविष्य मे यौन अराजकता फैल सकती है अपहरण जैसे अपराधों मे वृद्धि हो सकती है और महिलाओं की संख्या कम हो जाने से समाज विभिन्न प्रकार की विकट समस्याओं मे फस सकता है महिला संगठनों का दायित्व है कि वे इस विषय मे सोचें तथा अपने सम्मान तथा अपने जीवित रहने के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएं जनसंख्या पर अंकुश लगाने की आड़ मे इस अराजकता को सहन नही किया जाना चाहिए अन्यथा समाज को एक और तरह के भयंकर प्रदूषण का सामना करना होगा।

मुख्य शब्द : मानवाधिकार, कन्या भ्रूण, हत्या, महिला, हनन, संयुक्त राष्ट्रसंघ।

प्रस्तावना

सर्वप्रथम 27 जनवरी 1947 को संयुक्त राष्ट्रसंघ ने मानवाधिकारों की विस्तृत व्याख्या के लिए एक आयोग गठित किया गया था और उसकी सिफारिशों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों ने 10 दिसंबर 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था, तभी स विश्व भर मे 10 दिसंबर का दिन 'विश्व मानवाधिकार दिवस' के रूप मे मनाया जाता है, इस मतदान मे सोवियत संघ सहित कुल 8 सदस्य देशों ने हिस्सा नही लिया था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत किए गए इस वैश्विक घोषणा पत्र मे कुल 30 अनुच्छेद है और इस घोषणा पत्र मे व्यक्ति के जीवन का अधिकार, न्यायिक समानता, स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, उचित स्तर पर जीवन यापन का अधिकार विचार एवं भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संम्पत्ति का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, उत्पीड़न पर अन्य देशों की कारण प्राप्त करने का अधिकार इत्यादि को मानवाधिकारो के रूप मे शामिल किया गया है असल मे 1945 मे संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना इसी उद्देश्य से को गई थी की भविष्य मे द्वितीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न न होने दी जाए और संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अपनी स्थापना के कुछ ही समय बाद मानवाधिकारों का संरक्षण किये जाने की ओर ध्यान देना शुरू किया संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानवाधिकारों पर निगरानी रखने के लिए बडे मानवाधिकार आयोग ने 32 सदस्य व कई जॉच एजेंसियॉ हैं और 16 सदस्यीय एक उप आयोग भी है, जिसमे दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत याग्यता के आधार पर सदस्यों को शामिल किया जाता है 23 मार्च 1976 को अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के चलते संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा घोषित मानवाधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय विधेयक के रूप मे भी मान्यता मिल गई, वैसे यह

विडंबना ही है कि मानवाधिकारों की घोषणा के 62 वर्षों बाद भी दुनिया भर मे करोड़ो लोग संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा घोषित मानवाधिकारों से वंचित हैं करोड़ो लोग रोटी कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों से भी महरूम है एक अरब से भी अधिक लोग कम अथवा ज्यादा कुपोषण के शिकार हैं अरबों लोग आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है एक अरब से भी अधिक लागों को पीने के लिए स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध नही है कुपोषण की वजह से हर रोज हजारों बच्चे काल के ग्रास बन जाते हैं दुनिया भर मे आज भी करोड़ों बच्चे बाल मजदूरों का दंश झेल रहे हैं केवल भारत मे ही करीब 8 करोड़ बच्चे अपने मासूम बचपन को बाल मजदूरी की तपती भट्ठी मे झोंकने को विवस हैं बाल मजदूरों एवं महिला मजदूरों के शारीरिक एवं मानसिक शोषण की घटनाएं आज भी आम हैं।[2] हालांकी मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ को मानवाधिकार आयोग के अलावा लगभग हर देष मे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भी हुआ है लेकिन जिस गति से आज भी मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उससे मानवाधिकार आयोगों के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आखिर दुनिया भर मे जो करोड़ो अरबों लोग मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के 62 वर्षो बाद भी अपने अधिकारों से वंचित है उनके लिए इन आयोगों की प्रासांगिकता भी क्या हो सकती हैं? मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए 1961 मे स्थापित संगठन 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' की एक रिपोर्ट मे पिछले दिनों कहा गया था कि दुनिया भर मे करीब 120 देशों मे मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है, भारत मे भी सितंबर 1993 मे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था इसका उद्देश्य भी मानवाधिकारों का संरक्षण व उनको प्रोत्साहन देना ही था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग गठन के बाद यह आशा की जाने लगी थी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की निगरानी मे देश मे मानवाधिकार हनन के मामलों पर अंकुश लगेगा लेकिन भारत मे भी मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी अब तक इस दिषा म कुछ खास पहल नही कर पाया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार गठन के कुछ ही समय बाद आयोग ने अपनो एक रिपोर्ट मे लिखा था कि देश की सभी जटिलताओं को दृष्टिगत रखते हुए आयोग मानता है कि जो लोग सर्वाधिक दुर्बल हैं उनके संरक्षण का आयोग पर एक विशेष और अपरिहार्य दायित्व है लेकिन आयोग गठन के बाद के इन 9 वर्षों मे अपने दायित्वों को निभाने मे कितना सफल रहा है इसकी पड़ताल किए जाने की आवश्यकता है नए भरत के निर्माण का नारा लगाते हुए औद्योगिकीकरण की अंधी दौड़ मे देश मे मजदूर महिलाओं व छाटे–छोटे मासूम बच्चों का जमकर शारीरिक व मानसिक शोषण किया जा रहा है लेकिन आयोग इस दिशा मे मौन है देश मे करीब 8 करोड़ बाल मजदूर जो स्कूली शिक्षा से भी पूर्णतया महरूम हैं और महिलाओं का बहुत बड़ा तबका अपने परिवार का पेट भरने के लिए ऐसे खतरनाक उद्योग मे काम करन को मजबूर हैं जहां उन्हें दो वक्त की रोटी के नाम पर कई भयानक बीमारियों का उपहार साथ मिलता है, यदि हम मानवाधिकारों की दृष्टि से इसका विवेचन करें तो क्या ये सभी उचित स्तर पर जीवन यापन के अधिकार, शिक्षा के अधिकार , जीवन के प्रति सुरक्षा के अधिकार शोषण से मुक्ति के अधिकार तथा अन्य सामाजिक अधिकारों से पूर्णतया वंचित नही है? 1 क्या यह सरासर मानव अधिकारों के उल्लंघन का मामला नही है क्या यह मानव अधिकार आयोग का दायित्व नही है कि वह इन विसंगतियों को दूर करने के लिए सार्थक एवं प्रभावी कदम उठाए? आधुनिक भारत मे करोड़ो लोग आज भी भूखें–नंगे अपनो जिंदगी के दिन जैसे तैसे उद्देश्यहीन पूरे कर रहे हैं करोड़ो लोग छत के अभाव मे खुले आसमान तले सड़को, प्लेटफार्म, फुटपाथों पर अथवा नदी तालाबों के किनार जीवन बिताने को विवश हैं क्या ऐसे लोगों के लिए मानव अधिकारों का कोई महत्व हो सकता है, आदि अनेक ऐसे सवाल है जिन सवालों के बीच कन्या भूण हत्या भी एक ऐसा मामला है जो चिंतनीय है। भ्रूण हत्याएं समाज मे महिलाओं की दयनीय स्थिति, दहेज की कुप्रथा के दबाव तथा अधिकांश मामलों मे गर्भवती माताओं की इच्छा के विपरीत की जा रही हैं। इस कारण स्त्री पुरूषो की जनसंख्या के बीच अंतर पैदा हो रहा है वह आगे चलकर किस प्रकार की यौन–अराजकता पैदा करेगा, इसकी कल्पना आज भी आसानी से की जा सकती है। इसी कारण दिल्ली सरकार ने भ्रूण हत्याओं को कानून बनाकर गंभोर अपराध घोषित कर दिया है। किन्तु क्या कानून बना देने से ही यह अपराध रूक सकता है आइए दिल्ली की स्थिति का जायजा लेने पर एक बात सामने आती है कि दिल्ली के एक प्रतिष्ठित डाक्टर का कहना है कि उनके पास गर्भ की जॉच कराने के लिए महिलाओं को लाने वालों मे 98 पतिशत लोग ऐसे होते है जो लड़की नहीं चाहते, लड़का चाहते हैं। दिल्ली मे इस क्षेत्र मे कार्यरत सभी क्लीनिकों का अनुभव कुछ ऐसा ही है।[3] वहॉ दंपति भ्रूण की हत्या कराने के लिए आते हैं। यद्यपि गर्भवती महिलाएं पारिवारिक दबाव के कारण अनिच्छा से ही इस घृणित काय को करने के लिए तैयार होती हैं। परिणामतः दिल्ली महानगर में लड़के और लड़कियों की वार्षिक जन्मदर मे 55 और 45 का अनुपात तो उस वक्त है,जब ये पंक्तियॉ लिखी जा रही हैं। भविष्य मे स्थिति क्या होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। विचित्र बात यह है कि कन्या भूणों की हत्या का कारण केवल गरीबी और अषिक्षा नही है, क्योंकि इस उद्देश्य से आन वाले दंपतियों मे अधिकतर सुशिक्षित तथा संपन्न होते हैं। कन्या–भ्रूणों की हत्या का कारण दिल्ली महानगर मे महिलाओं की संख्या लगातार कम हो रही है, इस काम मे अल्ट्रासाउण्ड मशोनों के दुरूपयोग से स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है। लिंग भेद की यह कुप्रथा समाज मे कोई नई नही है। कन्याओं को अभिषाप मानकर यहां पहले भी उनकी हत्या की जाती रही है। राजपूतों मे लड़कियों को मार डालने की कुप्रथा काफी पहले से चली आ रही है। इस कूरतम अपराध का सबसे पहला प्रमाण इस्ट इंडिया कम्पनी को सन् 1789 के लगभग पहलो बार मिला था। तब बनारस के कमिश्नर डंकन ने राजपूतों के एक संप्रदाय का पता लगाया था। इस राजपूत संप्रदाय मे कन्याओं को पैदा होने के तुरंत

बाद मार दिया जाता था। यह कुप्रथा दहेज और विवाह के भारी खर्च के अतिरिक्त बेटी का बाप होने के कारण मूँछ नीची होने की भावना से भी पैदा हुई थी। काफी समझाने बझाने के बाद भी जब लोग इस पाश्विक कृत्य को छोड़ने के लिए तैयार नही हुए तो डंकन ने अपने क्षेत्र के सरदारों से 3 दिसंबर 1789 को एक इकरारनामा लिखवाया, जिसमे सरदारों से कन्याओं की हत्या न होने देने का वचन लिया गया था। लेकिन इस इकरारनामे के बावजूद कन्याओं की हत्याएं निरंतर होती रहीं। इसमे कोई कमी नही आई। 1795 मे नए कमिश्नर सर जान ने वाराणसी मे नियुक्त हुए। उन्होने कानून बनाकर इस कुप्रथा पर पूर्ण रोक लगा दी कानून मे कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार बालिका शिशु की हत्या को हत्या के अपराध के बराबर ही मानेगी और इस अपराध के लिए दंड भी हत्या के बराबर ही दिया जाएगा। किन्तु इस कड़े कानून प्रावधान के बाबजूद कन्या शिशुओं की हत्या का सिलसिला नही रूका, यहॉ तक की ब्रिटिश शासकों को 1908 मे एक और कानून बनाना पडा। जब 1839 मे माउंट गोमरी इलाहाबाद मे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने तो उन्होंने भी इस कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन सफलता नही मिली। उन्होने प्रत्येक गॉव मे एक चौकीदार नियुक्त किया और दाइयों की ड्यूटी लगाई कि वह ऐसे हर अपराध की सूचना उन्हे दें ताकि कन्या शिशुओं की हत्या करने वाले अपराधियों को कड़ा दंड दिया जा सके। आजादी के बाद भी ऐसी घटनाएँ सामने आती रहीः जिनसे ज्ञात होता है कि दाइयों को अतिरिक्त पैसा देकर कन्याओ को जन्म लेते ही मरवा दिया जाता था। लेकिन अब अल्ट्रासाउण्ड जैसी आधुनिक मशोनों के आ जाने तथा गर्भस्थ शिशु के लिंग का आसानी से पता चल जाने की सुविधा ने इस कुप्रथा को गंभीर स्थिति मे पहुॅचा दिया है। पूरे देश मे कन्या भ्रूणों की हत्या जिस पैमाने पर हो रही है, उनका अनुपात लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की स्थिति पर एक नजर डालना काफी होगा।

उपलब्ध आकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश मे लगभग 250 कन्या शिशुओं को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। मॉ और मॉ से ज्यादा पिता की इच्छा से की जाने वाली इन हत्याओं की सख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है क्योकि ये आकड़ें केवल 22 जिलों के हैं। 4 पूरे प्रदेश मे क्या स्थिति होगी, इसकी मात्र कल्पना की जा सकती है और सबसे दुखद स्थिति यह है कि कन्या भ्रूणों की हत्याएं अपेक्षाकृत ज्यादा संपन्न और आधुनिक परिवारों मे ही जा रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे कन्या भ्रूणों की हत्याओं के आकड़ें सबसे अधिक हैं। आगरा का नाम इस अपराध मे सबसे उपर है वहां कन्या को गर्भ मे ही मार डालने का औसत प्रतिदिन दो है और इस अपराध मे अधिकतर मध्यम वर्ग के सम्पन्न परिवार ही संलग्न पाए गए हैं। कन्या भ्रूणों की हत्या के कारण उत्तर प्रदेष मे पुरूषों और स्त्रियों की आबादी का संतुलन निरंतर बिगड़ता जा रहा है। प्रदेश मे पिछले बीस वर्षों से स्त्रियों की संख्या लगातार घट रही है,1991 की जनगणना के अनुसार राज्य मे एक हजार पुरूषों पर मात्र 879 महिलाएँ थीं। स्पष्ट है कि बाद की अवधि मे यह संख्या और भी घट गई होगी। 'यूनिसेफ' की एक रिपोर्ट मे बताया है कि बालिका शिशु तथा कन्या–भ्रुणों की हत्या ही वास्तव मे भारत मे स्त्री पुरूषों की जनसंख्या मे असंतुलन का कारण बन रही है। रिपार्ट मे कहा गया है कि अगर जन्म से पहले कन्याओं को मार डालने की घातक प्रवृत्ति पर रोक न लगाई गई तो स्त्री–पुरूषों की जनसंख्या का अनुपात इतना कम हो जाएगा कि इसमे मानव अधिकारों की दूसरी समस्याएॅ तथा यौन–अराजकता के पैदा हो जाने का भय है। इस सबंध मे जितनी भी रिपार्ट सामने आई है उन सबका सारांश यह है कि भारतीय समाज मे लड़कों के बढ़ते हुए बाजार तथा तेजी से बढ़ते हुए उनके दाम इस प्रवत्ति को बढ़ाने का मुख्य कारण हैं लेकिन इस भयंकर स्थिति की तरफ राज्य षासन कोई ध्यान नही दे रहा है कन्याओं के प्रति समाज मे जो उपेक्षित भाव है उसी का यह परिणाम है कि राज्य मे प्रतिवर्ष 6 वर्षों तक की कोई छः लाख लड़कियॉ जानबूझकर गायब कर दी जाती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश मे छोटी उम्र की कन्याओं को गायब कर देने का अपराध धड़ल्ले से हो रहे हैं कन्या भ्रूणों की हत्याओं की पाश्विक घटनाएं तो देश भर मे समान रूप से हो रही हैं उत्तर प्रदेश तथा हिन्दी भाषी प्रदेशों मे जहॉ भी आप जाएंगे वहां आपको लड़का चाहते हैं या लड़की शीर्षक के बड़े विज्ञापन पढ़ने को मिल जाएगें पॉच सौ रूपये के साधरण खर्च पर भ्रूण की लिंग जॉच कराने की सुविधा हर जगह उपलब्ध है हजारों छोटे–छोटे क्लीनिक इस कार्य के लिए चला रहे हैं जांच के बाद भ्रूण मे लड़की का पता चलते ही उनकी हत्या करा देना कोई मश्किल बात नही है।

कन्या भ्णों की हत्या का अपराध केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नही है यह महामारी ग्रामीण क्षेत्रों तक फैली हुई है गॉव तथा छोटे–छोटे कस्बों की दाइयॉ बहुत कम पैसों मे कन्या भ्रूणों की हत्या कर देती हैं अगर यें आंकड़े भी उपलब्ध हो जाएं ता हत्याओं का यह ग्राफ और भी ऊपर पहुंच जाएगा। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश मे बालिका भ्रूणों को हत्या को रोकने के लिए कोई सशक्त कानून नही है, इतना ही नही बल्कि गर्भ मे लड़का लड़की बताने बाले डाक्टरों के विज्ञापनो पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नही लगाई गई है संसद मे 'प्रिनेटल सैक्स डिटर्मिनेशन टैक्नीक' के विरूद्ध 1991 म एक विधेयक जरूर पेश हुआ था जिसका अनमोदन 1994 के मानसून सत्र मे किया गया परंतु कुछ विशेष स्थितियों मे यहॉ भी गर्भ परीक्षण की अनुमति देदी गई इस कानून मे छूट दी गई है कि यदि भ्रूण की स्थिति असामान्य हो अथवा इससे गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो रहा हो तो इस तकनीक को अपनाया जा सकता है कानून द्वारा दी गई इस छूट का निर्लज्जता पूर्वक लाभ उठाया जा रहा है अब जितनी भी कन्या भ्रूण हत्या होती हैं वे इसी छूट के आड़ मे की जाती हैं 'वूमैन इंडिया' की एक रिपोर्ट मे वताया गया है कि अल्ट्रा साउण्ड सोनोग्राफी के द्वारा गर्भ मे लड़की का पता लगत ही 100 मे से लगभग 10 व्यक्ति उसकी हत्या कराने के प्रयास मे लग जाते है। वूमैन इंडिया मे ग्रामीण क्षेत्रो से जो तथ्य इकट्ठे किए है उनके अनुसार गावों मे कन्या भ्रूणों की हत्या दाइयों द्वारा कराया जाता है। इन दाइयों

ने स्वीकार किया है कि परिवार वालों के दबाव मे ये कई बार नवजात कन्या शिशुओं को भी मार डालती हैं।[5] इसके लिए सबंधित परिवार के लोग उन्हे अतिरिक्त पैसा देते है इन दाइयों का कहना है कि ऐसे मामलो मे गर्भवती महिलाओं की इच्छा नही देखी जाती परिवार के पुरूष अथवा पिता ही कन्याओं को ठिकाने लगवा देत हैं, सर्वेक्षण रिपोर्ट यह भी बताती है कि गर्भस्थ कन्या शिशुओं की हत्या के प्रयास मे 6 प्रतिशत मृत्यु हो जाती है लेकिन ऐसी हर मौत को स्वाभाविक मौत मानकर मृतक का संस्कार कर दिया जाता है। हत्या करने या कराने वालों के विरूद्ध कभी कोई कार्यवाही नही होती। चिकित्सा–विशेषज्ञों के अनुसार गर्भवती होने के केवल 12 सप्ताह तक ही गर्भस्थ भ्रूण को नष्ट किया जा सकता है किन्तु 22 से 31 सप्ताह यानी पॉचवे महीने से लेकर छठे महीने तक गर्भ मे कन्या का पता लगने पर उसकी हत्या कर दी जाती है कन्याओं के प्रति इस क्रूरता का परिणाम यह है की 1981 की जनगणना मे जहॉ उत्तर प्रदेश मे हजार पुरूषों पर महिलाओं की गिनती 885 थी वहीं 1991 की जनगणना मे घटकर यह 879 रह गई है यानी 10 साल की अवधि मे 1000 पर 6 महिलाएं कम हो गई। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट मे कहा गया है की भारत मे हर वर्ष लगभग 50 लाख गर्भपात होते है कन्या भ्रूणो की हत्याओं ने इन आकड़ों को और बढ़ाया है इस भयंकर स्थिति का अनुमान इस तथ्य से भो लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश मे शिशुओं की मृत्यु दर 98 प्रति हजार है किन्तु इनमे मरने वाली बालिकाएँ 1000 मे 111 होती हैं, इससे आगे बढ़कर यह भी देखें की 5 वर्षों की अवस्था को पहुंच जाने वाले बालको की मृत्यु दर जहॉ 38.5 है वहीं बालिकाओं की मृत्यु दर 65.6 है इसका अर्थ ये भी है जहॉ लड़कियों को बाद मे भी मारने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता ह, कन्या भ्रूणो की हत्या कई दिशाओं से मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन की सीमा मे आती हैं यह एक ऐसा अपराध है जो भावी समाज के लिए भी खतरा बन रहा है यह कृत्य सर्वप्रथम तो गर्भवती महिलाओं के मौलिक अधिकार पर खुला आक्रमण करता है दूसरे गर्भ मे पलने वाली शिशु कन्या को जीवित रखने के अधिकार से वंचित कर हत्या के अपराध का कारण बन रहा है तीसरे स्त्री पुरूषों की जनसंख्या के अनुपात मे असंतुलन से यह आशंका उत्पन्न हो रही है कि भविष्य मे यौन अराजकता फैल सकती है अपहरण जैसे अपराधों मे वृद्धि हो सकती है और महिलाओं की संख्या कम हा जाने से समाज विभिन्न प्रकार की विकट समस्याओं मे फस सकता है महिला संगठनों का दायित्व है कि वे इस विषय मे सोचें तथा अपने सम्मान तथा अपने जीवित रहने के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएं जनसंख्या पर अंकुश लगाने की आड़ मे इस अराजकता को सहन नही किया जाना चाहिए अन्यथा समाज को एक और तरह के भयंकर प्रदूषण का सामना करना होगा।[6]

संदर्भ सूची

1. सम्मेलन पत्रिका लोक संस्कृति विशेषांक हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 2005
2. छत्तीसगढ़ विवके, सितम्बर, रायपुर 2012, भिलाई, पृष्ठ 40, 46
3. राष्ट्रवाणी, हिन्दी पत्रिका फरवरी, 2012, अंक 5, पुणे, पृष्ठ 27, 35
4. वीणा मासिक पत्रिका, इन्दौर जनवरी, 2010, इन्दौर, पृष्ठ 28
5. रचना द्विमासिकी, पत्रिका मई 2008 भोपाल अक्टूबर 2010, पृष्ठ 32
6. जनसत्ता समाचार पत्र, नई दिल्ली 2008, पृष्ठ 04
7. स्वयं का सर्वेक्षण एवं निष्कर्ष।